

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
राजस्थान स्टेट हेल्थ सोसायटी स्वास्थ्य भवन

क्रमांक :- एफ(107)/एनएचएम/भण्डार/मासिक वाहन/2024-25/ 812

दिनांक :- 13-01-2025

.....
.....
.....



विषय:- एनएचएम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु वित्त विभाग की दरों पर मासिक किराये के आधार पर वाहन लेने हेतु सूचना।

नेशनल हेल्थ मिशन के अन्तर्गत अधिकारियों के प्रयोजनार्थ मासिक किराये के आधार पर वित्त विभाग राजस्थान सरकार की निर्धारित दरों पर स्वयं की स्वामित्व वाले वाहन कार किराये पर लेने हेतु फर्मों एवं ट्रेवल एजेंसीज से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.सं०	कार्य का नाम	वाहनों की कुल संख्या
1.	किराये के आधार पर वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में	20

प्रस्ताव/प्रार्थना पत्र दिनांक 16.01.2025 को 11:00 बजे तक कमरा नम्बर 222, द्वितीय मंजिल, स्वास्थ्य भवन में जमा कराये जा सकते हैं। प्रस्ताव/प्रार्थना पत्र मुहरबन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जावें, जिस पर स्पष्ट रूप से "मासिक किराये के आधार पर वाहन लेने" हेतु प्रार्थना पत्र लिखा होना चाहिए। निविदा/प्रार्थना पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक है:-

1. वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रमाणित प्रति।
2. वाहन के बीमा प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
3. वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
4. वाहन का पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
5. वाहन चालक के वैध लाईसेन्स की प्रमाणित प्रति।
6. वाहन चालक का फोटो।
7. वाहन मालिक/सेवाप्रदाता के बैंक खाते की पासबुक/चैक की प्रमाणित प्रति।
8. अनुबन्ध करते समय वाहन के समस्त मूल कागजात प्रस्तुत करने होंगे, जो कमेटी द्वारा सत्यापन उपरान्त वापस कर दिये जायेंगे।


वाहन के संचालन हेतु निम्न शर्तें मान्य होगी:-

01. वाहन की मरम्मत, पीओल आदि व्यय वाहन के मालिक/फर्म/एजेंसी द्वारा ही वहन किये जायेंगे।
02. मासिक दरों में जीएसटी यदि मान्य है तो पृथक से अंकित करें।
03. वाहन को आवश्यकतानुसार कभी भी जयपुर से बाहर भेजा सकता है, इस हेतु पार्किंग, टोलटैक्स, इन्टरस्टेट टैक्स इत्यादि का भुगतान मूल रसीद प्रस्तुत करने पर अलग से देय होगा।
04. वाहन प्रतिदिन प्रातः 9.00 बजे अथवा अधिकारी के द्वारा सूचित समय पर उपलब्ध कराना होगा तथा अधिकारी द्वारा वाहन को मुक्त करने का समय ही समाप्ति का समय होगा।
05. राजपत्रित अवकाशों के दिन भी आवश्यकता होने पर वाहन उपलब्ध कराना होगा, जिसका कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं दिया जावेगा।
06. वाहन के खराब होने की स्थिति में वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था तुरन्त करनी होगी।
07. वाहन चालक के पास मोबाईल फोन होना अति आवश्यक है, तथा फोन की कनेक्टिविटी 24 घण्टे चालु रखनी होगी।
08. जयपुर मुख्यालय के बाहर रात्रि विश्राम करने पर 300 प्रति रात्रि चार्ज अतिरिक्त देय होगा।
09. वाहन का मॉडल 06 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए, परन्तु वाहन की कंडिशन संतोषजनक होने पर 02 वर्ष की छूट प्रदान करते हुए 06 वर्ष से अधिका एवं 08 वर्ष से कम पुराने वाहन पर भी विचार किया जा सकता है।
10. वाहन टैक्सी के रूप में पंजीकरण होना चाहिए।
11. यदि वाहन चालक किसी दिन स्वैच्छा से अनुपस्थित रहता है, वित्त विभाग के सर्कुलर अनुसार राशि की कटौती की जावेगी।
12. वाहन परिचालन प्रतिमाह 1500/2000/2200/2500 कि.मी. जैसी भी स्थिति हो निर्धारित की जावेगी।
13. वाहन यदि 1500 कि.मी./2000 कि.मी./2200 कि.मी./2500 कि.मी. से अधिक चलता है, तो वित्त विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार निर्धारित परिचालन सीमा से अधिक चालन का भुगतान किया जायेगा।
14. यदि वाहन मालिक वाहन हटाना चाहता है, तो उसकी सूचना 01 माह पूर्व लिखित में विभाग को देनी होगी।
15. वाहन या वाहन चालक की सेवाएं सन्तोषप्रद नहीं होने पर वाहन तत्काल हटाया जा सकता है।



16. अनुबंधित वाहन की किसी भी प्रकार की टूटफूट या दूर्घटना अथवा चालान होने पर जिम्मेदारी इस विभाग की नहीं होगी। इसका उत्तरदायित्व वाहन मालिक का स्वयं का ही होगा।
17. वाहन के किलोमीटर की रिडिंग की सूचना लॉग बुक ड्यूटी स्लीप में प्रतिदिन अंकित की जावेगी। यात्रा समाप्ति पर कुल किलोमीटर वाहन जिसका प्रयोग किया गया है, के सत्यापन का हस्ताक्षर संबंधित प्रयोग कर्ता अधिकारी से मय उनके नाम एवं पद कराने होंगे।
18. वाहन के साथ हर समय पंजीयन/रोड टैक्स/फिटनेस प्रमाण पत्र comprehensive बीमा, प्रदूषण एवं आवश्यक दस्तावेज होना आवश्यक है। वाहन टैक्सी के रूप में पंजीकरण होना चाहिए, वाहन का जोखिम अनुमोदित वाहन मालिक/सेवाप्रदाता का स्वयं का होगा।
19. फर्म के द्वारा संस्थान अथवा निर्दिष्ट स्थान पर वाहन मंगवाये जाने पर वाहन के किलोमीटर की गणना स्वास्थ्य भवन/राजकीय कार्यालय से ही मान्य होगी तथा यात्रा समाप्ति उपरान्त भी अंतिम गन्तव्य स्थान/स्वास्थ्य भवन तक ही गणना मान्य होगी।
20. वाहन कार्यालय परिसर में ही खड़ा किया जावेगा, लेकिन वाहन खड़े करने का जोखिम अनुमोदित वाहन मालिक/सेवाप्रदाता का स्वयं का होगा।
21. वाहन चालक स्वच्छ ड्रेस में तथा वाहन भी साफ स्वच्छ होना चाहिए।
22. वाहन चालक को विभिन्न कानूनों नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित सुविधायें वाहन मालिक द्वारा स्वयं के स्तर पर उपलब्ध कराई जावेगी। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) का कोई दायित्व नहीं होगा।
23. वाहन चालक की किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाती है या अन्य किसी रूप में दुर्घटनाग्रस्त/घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी एवं क्षतिपूर्ति/मुआवजा आदि देने का समस्त भार स्वयं वाहन मालिक/सेवाप्रदाता द्वारा ही वहन किया जावेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन इसके लिए किसी भी प्रकार से सहयोगी एवं जिम्मेदार नहीं होगा।
24. बिल राशि का भुगतान नियमानुसार आयकर अथवा अन्य विधिक करों, की कटौती के पश्चात ही किया जावेगा।
25. प्रस्ताव का स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर को होगा।
26. समस्त कानूनी कार्यवाही यदि किसी भी पक्ष द्वारा किये जाने की आवश्यकता पड़े तो जयपुर स्थित न्यायालयों में ही होगी अन्य स्थान पर नहीं।
27. उक्त प्रयोजनार्थ यदि एक से अधिक फर्म/ट्रैवल्स एजेंसी सोर्टलिस्ट की जाती है तो ऐसी स्थिति में निविदा वाहन के नवीनतम मॉडल को वरीयता देते हुए चयन किया जा सकेगा।


28. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर का निर्णय अंतिम होगा।
29. उक्त प्रस्ताव/प्रार्थना पत्र पर वित्त विभाग द्वारा जारी सर्कुलर में अंकित शर्तें एवं निर्देश अनुबंधित फर्मों एवं ट्रेवल्स एजेंन्सीज पर प्रभावी होंगे। विभाग द्वारा प्रस्तावों को स्वीकार करने उपरान्त वाहन उपलब्ध कराने हेतु पत्र जारी करने के 03 दिवस में 500/- रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध पत्र एवं 1500 किमी तक वाहन के संचालन हेतु 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि 17340.00 (सतरह हजार तीन सौ चालीस रुपये मात्र) प्रति वाहन एवं 2200 किमी तक वाहन के संचालन हेतु 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि 21660.00 (इक्कीस हजार छः सौ साठ रुपये मात्र) प्रति वाहन जमा करानी होगी। वाहन के ओरिजनल दस्तावेज भी अनुबंध के समय प्रस्तुत करने होंगे। प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज प्राप्त नही होने की स्थिति में प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होंगे।
30. माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा याचिका संख्या 372/2013 अनोख बाई व अन्य बनाम राज्य व अन्य में पारित निर्णय की पालना में वाहन चालक का न्यूनतम मजदूरी की दरों पर भुगतान करने का दायित्व वाहन मालिक/फर्म/संवेदक का होगा।
31. वाहन चालक को न्यूनतम मजदूरी की दरों पर भुगतान करने की सुनिश्चिता के लिए वाहन मालिक/फर्म/संवेदक को आगामी माह के बिल के साथ वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
32. अनुबंध अवधि के दौरान वित्त विभाग द्वारा यदि दरों में संशोधन किया जाता है, तो संशोधित दरों के अनुसार भुगतान देय होगा।


 (डॉ० भारती दीक्षित)
 मिशन निदेशक,
 एनएचएम

कमांक:- एफ(107)/एनएचएम/भण्डार/मासिक वाहन/2024-25/812 दिनांक :- 13-01-2025

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम।
2. निदेशक वित्त, एनएचएम।
3. भण्डार अधिकारी, एनएचएम।
4. सलाहकार आईटी को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना विभागीय वेबसाईट www.rajswasthaya.nic.in पर आवश्यक रूप से अपलोड करावें।


 निदेशक (वित्त),
 एन.एच.एम.